Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में श्री दीपचंद मीणा, राजस्व पटवारी हल्का 3 पीडब्ल्यूएम खाजूवाला 8,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 04 मार्च मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बीकानेर द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए श्री दीपचंद राजस्व पटवारी हल्का 3 पीडब्ल्यूएम खाजूवाला जिला बीकानेर को 8,000/– **रूपये** की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बीकानेर कों एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी की कृषि भूमि पर खराबा हुई फसल का मुआवजा देने की एवज में पटवारी श्री दीपचंद द्वारा 9000/– रूपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **के उप महानिरीक्षक पुलिस–तृतीय श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी बीकानेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद शर्मा** के नेतृत्व में **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेश श्रीमाली** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री दीपचंद मीणा उम्र 24 वर्ष निवासी गांव चक 6 केकेएम, डण्डी तहसील पूगल जिला बीकानेर हाल राजस्व पटवारी हल्का 3 पीडब्ल्यूएम खाजूवाला जिला बीकानेर को 8,000/– **रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।